

14.6.22 पत्तावली पेश हुई। कलोन कादी अनुपाधित।
 वकील कादी गण व कादी गणो व पुसिकादी को -
 न्यायालय समस तक बार बार आवेदन कराई
 गई लेकिन कोई नपाधित नहीं हुए और न्या-दी
 अनुसंधानों को पारी कराई गई।

आतः कादी प्रोवा काद अन्तर्गत धारा 88 -
 रा-दी-ए. अदम हाजरी अदम-पैर की अन्तर्गत
 आदेश 09 नियम 03 के तहत खारिज किया
 जाता है। पत्तावली केसल शुमा-दिया का नम्बर
 से काम हाकर दालिल दफ्तार हो। निर्णय पुके
 न्यायालय में सुनाया गया।

उपरखण्ड अधिकारी
 माँथर नरक

